



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

दुकान प्रकोष्ठ, नगर प्रशासन विभाग
सम्पदा भवन, हॉस्टल न. 4, पिपलानी, भोपाल – 462022

(खुली निविदा)

निविदा क्र. TAD/SC/MT/2022-23

दिनांक 01/08/2022

विषय: बीएचईएल लोक परिसर, भोपाल में मोबाइल टावर लगाने हेतु लाइसेंस के तहत उपयोग के अधिकार (right to use) आधार पर स्थल आवंटन किए जाने संबंधी।

बीएचईएल लोक परिसर, भोपाल के चयनित स्थलों में मोबाइल टावर स्थापित करने हेतु इच्छुक व पात्र Cellular operators/ Telecom Infrastructure Provider Category-1 (Registered with Department of Telecom Govt. of India) से खुली निविदा प्रणाली के अंतर्गत मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दो भाग (तकनीकी बिड व वाणिज्यिक बिड) प्रणाली के अंतर्गत खोली जाएंगी। तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की ही वाणिज्यिक बिड (प्राइस बिड) खोली जाएगी, तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त अधिकतम लाइसेंस शुल्क उद्धृत (quote) करने वाले एच-1 निविदाकार को लाइसेंस आधार पर मोबाइल टावर के स्थापना एवं/अथवा संचालन हेतु अस्थाई अनुमति प्रदान की जायेगी। तकनीकी रूप से योग्य निविदाकारों द्वारा किसी स्थल हेतु समान अधिकतम (H1) मासिक लाइसेंस शुल्क उद्धृत करने की दशा में उन निविदाकारों से मोहर बंद लिफाफे में 07 दिवसों के भीतर पुनः वाणिज्यिक निविदा आमंत्रित की जायेगी। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु दिशा-निर्देश, आवेदन प्रपत्र, तकनीकी मापदंड, वाणिज्यिक बिड का प्रारूप, निबंधन एवं शर्तें, संबंधित परिशिष्ट, आदि जानकारी/ दस्तावेज निम्नानुसार हैं:

तालिका 1

क्र.	दस्तावेज/ प्रारूप	परिशिष्ट क्र.	पृष्ठ क्र.
1.	निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु दिशा- निर्देश	परिशिष्ट 1	2-3
2.	आवेदन प्रपत्र	परिशिष्ट 2	4
3.	निबंधन एवं शर्तें	परिशिष्ट 3	5
4.	तकनीकी निविदा	परिशिष्ट 4	6
5.	वाणिज्यिक निविदा	परिशिष्ट 5	7
6.	निर्धारित स्थलों की सूची, आरक्षित लाइसेंस शुल्क एवं धरोहर राशि का विवरण	परिशिष्ट 6	8-20
7.	घोषणा पत्र	परिशिष्ट 7	21
8.	NEFT/ RTGS हेतु बीएचईएल के बैंक खाते का विवरण	परिशिष्ट 8	22
9.	आवश्यक दस्तावेजों की सूची	परिशिष्ट 9	23
10.	आदर्श लाइसेंस अनुबंध	परिशिष्ट 10	24-29
11.	Sample - License Agreement	परिशिष्ट 11	30-35

**बीएचईएल लोक परिसर, भोपाल में मोबाइल टावर लगाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी
खुली निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु दिशा-निर्देश**

तालिका 2

क्र.	मुख्य बिंदु	विवरण
1.	निविदा का उद्देश्य	बीएचईएल लोक परिसर, भोपाल में मोबाइल टावर के स्थापना एवं उपयोग हेतु तकनीकी योग्य एवं एच। (H1) निविदाकार को चयनित स्थल/ स्थलों का लाइसेंस के तहत उपयोग के अधिकार (Right to use) के आधार पर अस्थाई अनुमति प्रदान किया जाना।
2.	निविदा क्र. एवं दिनांक	TAD/SC/MT/2022-23 दिनांक 01/08/2022
3.	निविदा का प्रकार	खुली निविदा – दो भाग (तकनीकी व वाणिज्यिक) प्रणाली में
4.	निविदा दस्तावेज प्राप्त करने का दिनांक एवं समय	दिनांक 02/08/2022 से 23/08/2022 तक समस्त कार्य दिवस पर प्रातः 9:00 बजे से अप. 2:00 बजे तक (अप. 12:00 से 1:00 बजे भोजन अवकाश) अथवा बीएचईएल की वेबसाइट www.bhel.com से निविदा दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं।
5.	निविदा पूर्व बैठक का दिनांक व समय	दिनांक 17/08/2022 अप. 2:30 बजे
6.	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने, निविदा पूर्व बैठक, शंका-समाधान, आदि हेतु नियत स्थान	दुकान प्रकोष्ठ, नगर प्रशासन विभाग, संपदा भवन, हॉस्टल नं. 4, पिपलानी, बीएचईएल, भोपाल। दूरभाष- 0755 2505757, 3271
7.	निविदा दस्तावेज का मूल्य	रुपये 1180/- (रुपये एक हजार एक सौ अस्सी मात्र जी.एस.टी. सहित) प्रति निविदा दस्तावेज (वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की दशा में भी शुल्क देय होगा) जिसका विवरण परिशिष्ट-4 में देना अनिवार्य है अन्यथा निविदा अस्वीकार/ अमान्य कर दी जायेगी।
8.	निविदा दस्तावेज जमा करने का स्थान एवं अंतिम दिनांक	निविदा बॉक्स, सम्मेलन कक्ष के सामने, नगर प्रशासन विभाग, संपदा भवन, हॉस्टल नं. 4 पिपलानी बीएचईएल, भोपाल, दिनांक 25/08/2022 दोपहर 2:00 बजे तक
9.	तकनीकी बिड खुलने का दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 25/08/2022 दोपहर 3.00 बजे, नगर प्रशासन विभाग, संपदा भवन, हॉस्टल नं. 4, पिपलानी, बीएचईएल, भोपाल
10.	मोबाइल टावर हेतु स्थल, धरोहर राशि (EMD) जमा आदि का विवरण	निविदा (NIT) परिशिष्ट 6 अनुसार भुगतान कर विवरण परिशिष्ट-4 में देना अनिवार्य है अन्यथा निविदा अस्वीकार/ अमान्य कर दी जायेगी।
11.	निविदा की वैधता	तकनीकी निविदा खुलने की दिनांक से छः माह तक
12.	अस्थाई अनुमति प्रदान किए जाने की संभावित दिनांक	लाइसेंस अनुबंध निष्पादित किये जाने के दिनांक से

- निविदा दस्तावेज में छेड़छाड़, परिवर्तन या बदलाव न करें। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि निविदा दस्तावेज में छेड़छाड़, परिवर्तन या बदलाव किया गया है तो नियमानुसार आवश्यक लागू कार्यवाही सहित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- प्रत्येक स्थल हेतु पूर्णतः भरी हुई एवं हस्ताक्षरित (क) तकनीकी बिड (ख) वाणिज्यिक बिड अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में रखकर जमा करना अनिवार्य है। संबन्धित मुहरबंद लिफाफे के ऊपर सूचना क्र. TAD/SC/MT/2021-22-23 दिनांक 01/08/2022, तकनीकी निविदा/ वाणिज्यिक निविदा लिखना आवश्यक है। दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में मुहर बंद कर उसके ऊपर निविदा सूचना क्र. TAD/SC/MT/2022-23 दिनांक 01/08/2022 वांछित स्थल का विवरण एवं स्थल कोड लिखकर लिफाफे पर निविदाकार की जानकारी (नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर) मुहर/ खर स्टैम्प लगाकर जमा करना होगा।
- निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.bhel.com से डाउनलोड किये जा सकते हैं वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड/ प्राप्त करने की स्थिति में धरोहर राशि (EMD) के अतिरिक्त प्रति स्थल हेतु निविदा दस्तावेज शुल्क रुपये 1,000 (रुपये एक हजार मात्र) GST@18% कुल रु. 1180/- बी.एच.ई.एल. भोपाल के नाम देय डीडी/ एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से भुगतान कर तकनीकी निविदा के साथ मुहरबंद लिफाफे में रखना होगा, निविदा दस्तावेज शुल्क एवं धरोहर राशि (EMD) का भुगतान किए बिना जमा की गई निविदा अस्वीकार/ अमान्य कर दी जायेगी।
- निविदा दस्तावेज (तकनीकी, वाणिज्यिक, चेकलिस्ट, निविदा के निबंधन व शर्तें, आवेदन पत्र आदि) सहमति स्वरूप निविदाकार/ प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर/ खर स्टैम्प लगाकर जमा करना होगा जिसका तात्पर्य होगा कि आवेदन

निविदाकार को निविदा प्रपत्र में उल्लिखित नियम एवं शर्तें यथावत बिना किसी शर्त के स्वीकार हैं। प्राधिकृत व्यक्ति हेतु रु. 100/- मूल्य के स्टॉप पेपर पर प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए।

5. निविदाकार की सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
6. स्थल का विवरण सांकेतिक है, निविदा भरने से पहले निविदाकार मोबाइल टावर स्थापना हेतु स्थल की उपयुक्तता का भौतिक निरीक्षण कर लें। निविदा जमा करने पर यह माना जाएगा कि निविदाकार को मोबाइल टावर स्थापित करने हेतु स्थल पूर्णतः स्वीकार्य है।
7. निविदाकार एक या अधिक स्थल हेतु निविदा जमा कर सकता है। एक से अधिक स्थल हेतु पृथक-पृथक निविदा प्रस्तुत करना होगा एवं प्रत्येक निविदा हेतु निविदा दस्तावेज शुल्क एवं धरोहर राशि (EMD) का भुगतान निविदा जमा करने के अंतिम समय एवं दिनांक से पूर्व करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त/ अमान्य कर दी जाएगी।
8. मासिक आरक्षित लाइसेंस शुल्क न्यूनतम 100 वर्गफीट हेतु आंकलित की गई है। निविदाकार न्यूनतम 100 वर्ग फीट एवं अधिकतम 1500 वर्ग फीट क्षेत्रफल हेतु निविदा भर सकता है जिसमें क्षेत्रफल का विस्तार 100 वर्गफीट के गुणक में होगा जिसके समानुपाती दर से मासिक आरक्षित लाइसेंस शुल्क में वृद्धि होगी।
9. 100 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल हेतु निविदा जमा करने वाले निविदाकार को विस्तारित क्षेत्रफल के समानुपाती दर से धरोहर राशि (EMD) का भुगतान करना होगा जो कि संबंधित क्षेत्रफल हेतु मासिक आरक्षित लाइसेंस शुल्क का तीन गुना होगा। 100 वर्गफीट हेतु धरोहर राशि का विवरण परिशिष्ट 06 में उल्लेखित है।
10. सफल निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि (EMD) को अनुमति पत्र जारी किए जाने पर प्रतिभूति जमा (SD) में समायोजित किया जाएगा तथा असफल निविदाकारों की धरोहर राशि (बिना ब्याज के) एनईएफटी/चैक द्वारा अनुमति पत्र जारी होने के उपरांत सामान्यतः तीन माह के भीतर वापस कर दी जाएगी, इस हेतु असफल निविदाकार को आवेदन कर रसीद की मूल प्रति, बैंक डिटेल्स एवं पेन न. की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
11. सफल निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि (EMD) निम्नलिखित दशाओं में जब्त कर ली जाएगी :
 - 11.1 आशय पत्र प्राप्ति से पूर्व निविदा की नियम व शर्तों से मुकरने पर।
 - 11.2 बी.एच.ई.एल. द्वारा जारी आशय पत्र की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर लाइसेंस शुल्क एवं अन्य शुल्क का भुगतान नहीं करने और/अथवा शुल्क जमा कर 07 दिनों के भीतर लाइसेंस अनुबंध निष्पादित नहीं करने पर।
12. प्रतिभूति जमा (SD) बिना किसी ब्याज के निम्नलिखित किन्हीं भी स्थिति में वापस कर दी जाएगी।
 - 12.1 लाइसेंस अनुबंध के नियम व शर्तों की संतोषजनक पूर्ति करते हुए लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर
 - 12.2 लाइसेंस समाप्ति/ निरस्तीकरण हेतु प्राप्त नोटिस के तीन माह उपरांत
 - 12.3 बीएचईएल की आवश्यकतानुसार स्थल खाली करवाए जाने पर
13. निविदा दस्तावेज में निविदाकार द्वारा प्रदत्त पता, संपर्क सूत्र, ई-मेल आईडी, आदि पर बीएचईएल के प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी संदेश/जानकारी/सूचना निविदाकार को वैसे ही प्राप्त मानी जाएगी जैसे कि रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजी गई सूचना।
14. धरोहर राशि, प्रतिभूति जमा, लाइसेंस शुल्क, अर्थदंड, कर (Tax) आदि का भुगतान निम्नलिखित माध्यम से बीएचईएल, भोपाल को देय होगा:
 - 14.1 बी.एच.ई.एल. भोपाल के नाम देय डीडी
 - 14.2 NEFT/RTGS (details enclosed in परिशिष्ट 08)
 - 14.3 SBI Collect (<https://www.onlinesbi.com/prelogin/icollecthom.htm>)
 - 14.4 Credit Card/Debit Card द्वारा नगर प्रशासन (राजस्व) विभाग में देय।
15. निविदा संबंधी कोई भी संशोधन, त्रुटि, शुद्धि आदि की सूचना हमारे वेबसाइट www.bhel.com पर प्रदान की जाएगी।
16. किसी भी या सभी निविदा (ओं) को बिना कोई लिखित कारण बताए अस्वीकार/ निरस्त करने का अधिकार बीएचईएल को होगा।
17. यह निविदा किसी भी समय कोई भी कारण दर्शाये बिना निरस्त की जा सकती है। इस हेतु निविदाकार को हुई क्षति हेतु बीएचईएल जिम्मेदार नहीं होगा न ही बीएचईएल को पक्षकार बनाया जाएगा।
18. निविदा प्रक्रिया संबंधी विवाद की स्थिति में अपर महाप्रबंधक (नगरीय) अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों द्वारा मान्य होगा।

बी.एच.ई.एल. के लिए तथा उसकी ओर से

प्रबंधक (नगर प्रशासन)

निविदा हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

प्रबंधक

दुकान प्रकोष्ठ, नगर प्रशासन विभाग
सम्पदा भवन, हॉस्टल नं. 4, पिपलानी
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
भोपाल, म. प्र. - 462022

निविदाकार का
स्व-हस्ताक्षरित
पासपोर्ट आकार
का नवीनतम
फोटो

विषय:- बीएचईएल लोक परिसर, भोपाल में मोबाइल टावर लगाने हेतु अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी खुली निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवेदन।

संदर्भ: निविदा क्र. TAD/SC/MT/2022-23 दिनांक 01/08/2022

(निविदा जमा करने का अंतिम दिनांक व समय: 25/08/2022 दोपहर 2:00 बजे तक)

(परिशिष्ट 6 अनुसार)

क्षेत्र: स्थल कोड: वांछित स्थल:.....

1. निविदाकार कंपनी/संस्था का नाम (स्पष्ट अक्षरों में):
2. कंपनी/संस्था के प्रोपराइटर/डायरेक्टर का नाम:
3. कंपनी संस्था के स्थापना का दिनांक:
4. स्थापना की वैधता दिनांक:
5. प्रोपराइटर/डायरेक्टर के कार्यालय का पूरा पता:
..... पिन नं.
6. प्रोपराइटर/डायरेक्टर के निवास का पूरा पता:
..... पिन नं.
7. टेलीफोन नंबर मोबाइल नं. (1) मोबाइल नं. (2)
8. निविदाकार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली ई मेल आई डी.....
9. निविदाकार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि/व्यक्ति (यदि कोई) का नाम:.....
टेलीफोन नं. मोबाइल नं. (1).....मोबाइल नं. (2).....
आईडी प्रूफ निविदाकार एजेंसी के साथ अनुभव (वर्ष)
प्राधिकार पत्र/शपथ पत्र क्रं. दिनांक

निविदाकार की घोषणा:

1. मैंने निविदा संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लिया है जो कि मुझे स्पष्ट एवं स्वीकार्य हैं।
2. मैंने उपर्युक्त स्थल का निरीक्षण कर लिया है तथा स्थल को मोबाइल टावर के प्रयोजन हेतु उपयुक्त पाया है।
3. मैं जानता हूँ कि उपर्युक्त स्थल सांकेतिक है।

संलग्न: रु. 100/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्राधिकार पत्र (लागू होने पर)

निविदाकार/प्राधिकृत व्यक्ति के
हस्ताक्षर एवं मुद्रा

दिनांक:

स्थान:

बीएचईएल लोक परिसर, भोपाल में मोबाइल टावर स्थापना हेतु अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी निबंधन एवं शर्तें:

1. अस्थाई अनुमति स्थल के जहां हैं-जैसा हैं के आधार पर प्रदान की जाएगी। परिशिष्ट-6 के अंतर्गत दिये गये सूचीबद्ध स्थलों (नक्शों के अनुसार) पर टावर लगाये जा सकते हैं। सूची/नक्शों में दर्शाये गए स्थल केवल सांकेतिक हैं। स्थल के आसपास स्थान उपलब्ध होने पर स्थल में आंशिक (05 से 10 मीटर) परिवर्तन मान्य किया जा सकेगा।
2. परिशिष्ट 06 में निर्धारित स्थलों की सूची अनुसार ही किसी क्षेत्र हेतु निर्धारित किए गए स्थल पर अस्थाई अनुमति लाइसेंस (उपयोग के अधिकार) आधार पर प्रदान की जाएगी।
3. प्रत्येक स्थल हेतु प्रति 100 वर्ग फीट की दर पर उच्चतम निविदाकार एच-1 (High Bidder) लाइसेंस हेतु पात्र होंगे, निविदा जमा करने के बाद वाणिज्यिक निविदा में उद्भूत दर में किसी प्रकार का परिवर्तन/ संशोधन मान्य नहीं होगा।
4. सफल निविदाकार को (क) प्रतिभूति जमा के रूप में 12 माह के मासिक लाइसेंस शुल्क के समकक्ष राशि एवं (ख) एक माह का लाइसेंस शुल्क (जीएसटी अतिरिक्त) आशय पत्र/संबंधित ई-मेल की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अभिम जमा करना होगा।
5. प्रतिभूति जमा एवं लाइसेंस शुल्क का भुगतान उपरोक्तानुसार नियत समय अवधि में करने से 07 दिनों के भीतर अथवा आशय पत्र जारी होने के एक माह दोनों में से जो अवधि अधिक हो उसके भीतर लाइसेंस अनुबंध निष्पादित करने की कार्यवाही आवश्यक रूप से करना होगा।
6. निविदाकार द्वारा लाइसेंस अनुबंध निष्पादित करने की दिनांक से लाइसेंस शुल्क एवं अन्य शुल्क लागू किया जाएगा। इस हेतु मासिक बिल की प्रति लाइसेंसी द्वारा प्रभारी, राजस्व अनुभाग, नगर प्रशासन, बीएचईएल, भोपाल के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। मासिक बिल जारी होने की दिनांक से 10 दिनों के भीतर अथवा माह की 24 तारीख दोनों में से जो भी पहले हो तक बिलों का भुगतान कर इसकी प्रमाणित प्रति प्रभारी, राजस्व अनुभाग को आवश्यक रूप से प्रदान की जानी होगी। लाइसेंसी की सुविधा के लिए निम्नलिखित माध्यम से भी भुगतान स्वीकार्य किए जाते हैं :
 - 6.1 बी.एच.ई.एल. भोपाल के नाम देय डीडी
 - 6.2 NEFT/RTGS (details enclosed परिशिष्ट 08)
 - 6.3 SBI Collect (<https://www.onlinesbi.com/prelogin/icollecthom.htm>)
 - 6.4 Credit Card/Debit Card द्वारा नगर प्रशासन (राजस्व) विभाग में देय।
7. सफल निविदाकार को बीएचईएल प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर विद्युत/ साफ सफाई एवं पानी आदि के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
8. एक या एक से अधिक स्थल हेतु सफल रहे किसी निविदाकार को उन स्थलों हेतु संयुक्त रूप से एक ही लाइसेंस जारी किया जाएगा।
9. बीएचईएल दुकान आवंटन नीति एवं आदर्श अनुज्ञा अनुबंध 2014 अनुसार प्रारंभिक लाइसेंस अनुबंध की वैधता अनुबंध निष्पादित किए जाने के दिनांक से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए होगी, जिसे अधिकतम दो बार 5-5 वर्ष के लिए उस समय विद्यमान नीति/नियम अनुसार नवीनीकृत किया जा सकता है, इस हेतु बीएचईएल बाध्य नहीं होगा। नवीनीकरण हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण दुकान नीति में विद्यमान नियम के अंतर्गत अथवा नवीनीकरण के समय लागू लाइसेंस शुल्क दोनों में से जो भी अधिक हो पर किया जाएगा। लाइसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिभूति जमा हेतु 12 महीने की पुनरीक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क अभिम में लाइसेंसी द्वारा जमा की जाएगी।
10. लाइसेंस अनुबंध अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष की पूर्णता पर 5 प्रतिशत की दर से मासिक लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की जाएगी जिसे उच्चतर दस रुपये की राशि पर पूर्णांकित किया जाएगा।
11. किसी भी या सभी निविदाओं/लाइसेंस को बिना कारण बताए अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार अपर महाप्रबंधक (नगरीय) बीएचईएल भोपाल के पास सुरक्षित है।
12. निविदा अथवा/एवं लाइसेंस अनुबंध से जुड़े किसी भी विवाद की दशा में अपर महाप्रबंधक (नगरीय), बीएचईएल, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
13. निविदा की अन्य शर्तें लाइसेंस अनुबंध के प्रारूप, परिशिष्ट 10 अनुसार रहेगी।
14. निविदाकार द्वारा निविदा के निबंधन एवं शर्तों को पूरा न करने की दशा में निविदा अस्वीकार/ अमान्य कर दी जायेगी।

बी.एच.ई.एल. के लिए तथा उसकी ओर से

प्रबंधक (नगर प्रशासन)

तकनीकी निविदा**बीएचईएल लोक परिसर, भोपाल में मोबाइल टावर स्थापना हेतु अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी तकनीकी निविदा**

संदर्भ: निविदा क्र. TAD/SC/MT/2022-23 दिनांक 01/08/2022

(परिशिष्ट 6 अनुसार)

क्षेत्र: स्थल कोड: वांछित स्थल:.....

1. निविदाकार का नाम.....
2. पता.....
3. दूरभाष नं. मोबाइल नं. ई मेल
4. तकनीकी मापदंड:

निविदाकार का
नवीनतम
पासपोर्ट साइज
छायाचित्र

क्र.	तकनीकी अर्हता	सहायक दस्तावेज	टिप्पणी
1.	आवेदक की स्थिति	भारत सरकार/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र	संलग्न
2.	Cellular operators or Infrastructure Providers Category-1 registered with Department of Telecom Govt. of India	भारत सरकार/ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र	संलग्न
3.	जीबीएम या Cell on wheel (COW) के लिए सुरक्षा (Stability) एवं विकिरण सम्बंधी प्रमाण पत्र	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र	संलग्न
अन्य विवरण (तकनीकी अर्हता हेतु आवश्यक नहीं)			
	जीबीएम या Cell on wheel (COW) के साथ संस्थापित किए जाने वाले जनरेटर तथा अन्य सहायक उपकरणों के ब्यौरे	सूची	संलग्न
	आवेदन प्रस्तुत करते समय केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ निगम/ आदि द्वारा जारी/ प्रचलित नियमों/ विनियमों के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी		संलग्न
	अन्य दस्तावेज		संलग्न

5. निविदा दस्तावेज शुल्क रु. 1180/- रु. मात्र (एक हजार एक सौ अस्सी रुपये मात्र) का विवरण: DD/NEFT Detail/ एमआर नं. दिनांक (छायाप्रति संलग्न)
6. धरोहर राशि का विवरण: DD/NEFT Detail/एमआर नं. दिनांक
7. निविदाकार की स्थिति का विवरण: कंपनी/प्रोपराइटर/डायरेक्टर/अन्य (छायाप्रति संलग्न)
8. स्थापना का पंजीयन संख्या: (छायाप्रति संलग्न)
9. निविदाकार का पेन/PAN: (छायाप्रति संलग्न)
10. निविदाकार का GSTIN (लागू होने पर): (छायाप्रति संलग्न)
11. बीएचईएल लोक परिसर भोपाल में निविदाकार के वर्तमान में स्थित मोबाइल टावर का विवरण (विवरण संलग्न)

मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त वर्णित तथ्य/दस्तावेज मेरी जानकारी के अनुसार सत्य, सही व पूर्ण हैं, इनमें से कोई भी जानकारी मिथ्या/कूटस्थित/त्रुटिपूर्ण अथवा किसी प्रकार से गलत नहीं है। मैं यह भी जानता हूँ कि उपर्युक्त के संबंध में अपूर्ण जानकारी/ दस्तावेज जमा करने अथवा भविष्य में बीएचईएल द्वारा निविदा संबंधी अन्य जानकारी चाहे जाने पर मुझे सीमित अवधि के भीतर जानकारी/ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा निविदा को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत वाणिज्यिक निविदा पर विचार न करते हुए निविदा निरस्त/ अमान्य कर दी जाएगी।

वाणिज्यिक निविदा संदर्भ क्र. दिनांक मुहरबंद लिफाफे में अलग से संलग्न है।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांक

स्थान

वाणिज्यिक निविदाबीएचईएल लोक परिसर, भोपाल में मोबाइल टावर स्थापना हेतु अनुमति प्रदान किए जाने संबंधी वाणिज्यिक निविदा

संदर्भ: निविदा क्र.TAD/SC/MT/2022-23 दिनांक 01/08/2022

(परिशिष्ट 6 अनुसार)

क्षेत्र: स्थल कोड: वांछित

स्थल:.....

1. निविदाकार का नाम.....

2. पता

3. दूरभाष नं. मोबाइल नं. ई मेल

निविदाकार द्वारा उद्धृत (quoted) मासिक लाइसेंस शुल्क

100 वर्गफीट हेतु उद्धृत (कोटेड) दर अंकों में	उद्धृत (कोटेड) दर शब्दों में
रूपये	रूपये

उपर्युक्त स्थल पर 100 वर्गफीट क्षेत्रफल की भूमि से अधिक क्षेत्रफल की भूमि हेतु निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें।

मोबाइल टावर हेतु वांछित कुल क्षेत्रफल वर्ग फीट (100 वर्ग फीट के गुणक में)

कुल क्षेत्रफल हेतु उद्धृत (कोटेड) मासिक लाइसेंस शुल्क की गणना निम्नानुसार है:

(उपर्युक्त 100 वर्ग फीट क्षेत्रफल हेतु उद्धृत दर अनुसार प्रति वर्ग फीट दर) × (100 वर्ग फीट के गुणक में कुल क्षेत्रफल)

रूपये (अंकों में) रूपये (शब्दों में)

प्रथम वर्ष हेतु लाइसेंस शुल्क, अधिकतम उद्धृत (quoted) राशि + जीएसटी अतिरिक्त देय

(क) उद्धृत (quoted) राशि में काट-छांट को मान्य नहीं किया जायेगा, ऐसी वाणिज्यिक निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएगी एवं निविदाकार को अयोग्य माना जाएगा।

(ख) अंकों एवं शब्दों में उद्धृत (quoted) राशि में अंतर या अस्पष्टता पाए जाने पर शब्दों में उद्धृत राशि को मान्य किया जाएगा।

(ग) प्रत्येक स्थल हेतु अलग अलग वाणिज्यिक निविदा जमा करनी होगी।

(घ) आरक्षित लाइसेंस शुल्क से कम उद्धृत राशि मान्य नहीं होगी।

(च) तकनीकी रूप से योग्य निविदाकारों द्वारा किसी स्थल हेतु समान अधिकतम (H1) मासिक लाइसेंस शुल्क उद्धृत करने की दशा में उन निविदाकारों से मोहर बंद लिफाफे में 07 दिवसों के भीतर पुनः वाणिज्यिक निविदा आमंत्रित की जाएगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांक

स्थान

निर्धारित स्थलों की सूची, आरक्षित लाइसेंस शुल्क एवं धरोहर राशि (EMD) का विवरण:

Sl. No.	Sector	Location Code	Location for COW/Monopole/GBM/etc. type of Tower	Latitude (Probable /Nearby)	Longitude (Probable /Nearby)	Monthly Reserved License Fee for 100 Sq. Ft.	EMD for area of 100 Sq. Ft.
1	2	3	4	5	6	7	8
PIPLANI							
1	A	P/A/22/1	Near Hostel No. 05 A Sector	23.24529	77.46919	9300	27900
2	A	P/A/22/2	Near Sarangpani Lake, A Sector	23.245710	77.470350	9300	27900
3	A	P/A/22/3	Near Sarangpani Lake, A Sector	23.244697	77.472133	9300	27900
4	B	P/B/22/4	Near Shiv Nagar Cluster Jamboori Ground	23.247553	77.486724	9300	27900
5	B	P/B/22/5	Khajuri Kalan road, B Sector	23.244557	77.480117	9300	27900
6	B	P/B/22/6	Near LIC Office, B Sector	23.244486	77.475270	9300	27900
7	B	P/B/22/7	Behind Vikram school, B Sector	23.238624	77.475148	9300	27900
8	B	P/B/22/8	Behind Vikram school, B Sector	23.238508	77.475152	9300	27900
9	D	P/D/22/9	Ramleela Ground, D Sector	23.237379	77.468191	9300	27900
BERKHERA							
1	A	B/A/22/1	Near Children Park, A Sector Berkhera	23.229071	77.462629	9300	27900
2	B	B/B/22/2	Near Bharti Niketan School, B Sector	23.229505	77.468290	9300	27900
3	D	B/D/22/3	In front of St. Jhoseph Church, D Sector	23.229458	77.471723	9300	27900
4	E	B/E/22/4	Ramlila Ground, E sector	23.222254	77.469604	9300	27900
5	E	B/E/22/5	Ramlila Ground, E sector	23.222215	77.469545	9300	27900
GOVINDPURA							
1	A	G/A/22/1	Near Nageshwar Temple, A Sector	23.247442	77.441622	9300	27900
2	B	G/B/22/2	Near ITI Tiraha, B Sector	23.252202	77.449868	9300	27900
3	C	G/C/22/3	Behind Jawahar School (PW) C Sector	23.242984	77.446882	9300	27900
4	C	G/C/22/4	Beside Jawahar School (PW) C Sector	23.243827	77.447623	9300	27900
5	C	G/C/22/5	Near CISF Office, C Sector	23.237493	77.449987	9300	27900
6	D	G/D/22/6	Near Qtr. No. 237 N1, D Sector	23.235054	77.445844	9300	27900
7	D	G/D/22/7	Near Railway track Anna nagar, D Sector	23.233595	77.447169	9300	27900
HABIBGANJ							
1	HBJ	H/HBJ/22/1	Anna nagar square, near bus stop	23.231484	77.446841	9300	27900
2	HBJ	H/HBJ/22/2	Near hat bazar	23.222741	77.443519	9300	27900
3	HBJ	H/HBJ/22/3	Near Kasturba Market	23.221941	77.444950	9300	27900

NEAR HOSTEL NO. 05, A SECTOR, PIPLANI (P/A/22/1)



NEAR SARANG PANI LAKE, A SECTOR, PIPLANI (P/A/22/2)



NEAR SARANG PANI LAKE, A SECTOR, PIPLANI (P/A/22/3)



NEAR SHIV NAGAR CLUSTER, PIPLANI (P/B/22/4)



KHAJURI KALAN ROAD, B SECTOR, PIPLANI (P/B/22/5)



NEAR LIC OFFICE, B-SECTOR, PIPLANI (P/B/22/6)



BEHIND VIKRAM SCHOOL, B SECTOR, PIPLANI (P/B/22/7)



BEHIND VIKRAM SCHOOL, B SECTOR, PIPLANI (P/B/22/8)



RAMLEELA GROUND, D SECTOR, PIPLANI (P/D/22/9)



NEAR CHILDREN PARK, A SECTOR BERKHERA (B/A/22/1)



NEAR BHARTI NIKETAN SCHOOL, B SECTOR, BERKHERA (B/B/22/2)




IN FRONT OF ST. JOSEPH CHURCH, D SECTOR, BERKHERA
(B/D/22/3)



RAMLILA GROUND, E SECTOR, BERKHERA (B/E/22/4)




RAMLILA GROUND, E SECTOR, BERKHERA (B/E/22/5)



NEAR NAGESHWAR TEMPLE, A SECTOR, GOVINDPURA (G/A/22/1)



NEAR ITI TIRAHA, B SECTOR, GOVINDPURA (G/B/22/2)



BEHIND JAWAHAR SCHOOL (PW) C SECTOR, GOVINDPURA
(G/C/22/3)



BESIDE JAWAHAR SCHOOL (PW) C SECTOR, GOVINDPURA
(G/C/22/4)



NEAR CISF OFFICE, C SECTOR, GOVINDPURA (G/C/22/5)



NEAR QTR NO 237 N1, D SECTOR, GOVINDPURA (G/D/22/6)



NEAR RAILWAY TRACK, ANNA NAGAR, D SECTOR, GOVINDPURA
(G/D/22/7)



ANNA NAGAR SQUARE, NEAR BUS STOP, HABIBGANJ (H/HBJ/22/1)



HABIBGANJ NEAR HAT BAZAR, HABIBGANJ (H/HBJ/22/2)



NEAR KASTURBA MARKET, HABIBGANJ (H/HBJ/22/3)



घोषणा

मैं.....आत्मज/आत्मजा.....उम्र.....
 निवासी.....
 मेसर्स.....की ओर से यह घोषित करता/करती हूँ कि मैंने श्री/श्रीमती/
 मेसर्स.....की भूमि भवन पर जीबीएम/जीबीटी/आरटीटी/ बीटीएस/सीओडब्ल्यू
 लगाने के लिए कलेक्टर एवं सक्षम अधिकारी जिलासे लाइसेंस प्राप्त कर लिया है जिसका क्रमांक
 दिनांक है।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी भी सिविल/ आपराधिक प्रकरण में लिप्त नहीं हूँ और न ही किसी पुलिस थाने
 अथवा न्यायालय में मेरे विरुद्ध कोई प्रकरण लंबित है। उपर्युक्त कथन को असत्य पाये जाने की दशा में मे निविदा/ लाइसेंस
 निरस्त कर दिया जायेगा। इस हेतु किसी भी राशि का भुगतान बीएचईएल से प्राप्त नहीं करूँगा।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि प्राकृतिक आपदा/अन्य घटनाओं/आकस्मिक क्षतियों/अग्निकांड/हानि अथवा टूटफूट
 होने की दशा में लाइसेंसदाता एवं अन्य कोई भी शासकीय निकाय किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे और मैं/कंपनी पूर्ण रूप
 से जिम्मेदार होंगे। इस हेतु किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा बीएचईएल से प्राप्त करने का मुझे/कंपनी को कोई अधिकार
 नहीं रहेगा।

मैं यह भी प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि कंपनी उपरोक्त उपबंधों और नियमों/ इन नियमों में अधिकथित शर्तों का पालन करने
 के लिए बाध्य होगी।

संलग्न: प्राधिकार पत्र

आवेदक/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मुद्रा
 कंपनी/फर्म का नाम एवं पता



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

(भारत सरकार का उपक्रम)

Bharat Heavy Electricals Limited, Bhopal

(A Govt. of India undertaking)

उत्कृष्टता की ओर अग्रसर

"Marching Towards Business Excellence"

TO WHOM SO EVER IS CONCERNED.

Details for receiving Bank Account for NEFT/RTGS payment.

1. Name of Beneficiary : BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD.
2. Name of the Bank : State Bank of India
3. Bank of Branch Address : HET, Piplani, Bhopal (M.P.)-462021
4. Account No. : 30855948540
5. IFSC Code : SBIN0000519
6. MICR : 462002011
7. Title of Account : Current Account
8. PAN No. : AAACB4146P

Place: Bhopal

Date : 19-01-2016

Chetana
19/01/16
चेतन मेहर
CHETAN MEHAR
Signature & Seal
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)
Sr. Manager (Finance)
बी.एच.ई.एल. भोपाल / BHEL, Bhopal

We certify that the above bank details are correct as per our record.

SK JAIN
21/1/16
Banker Signature & Seal
SK JAIN
SBM-2917

भोपाल : 462022, दूरभाष : 2500100 (7 लाईन्स), फैक्स : 0755 - 2500425, तार : भारतइलेक
Bhopal : 462022, Phone : 2500100 (7 Lines), Fax : 0755 - 2500425, Gram : BHARATELEC
WEB SITE ADDRESS : www.bhelbhopal.com

आदर्श अनुज्ञा अनुबंध

यह अनुबंध ----- (दिन)----- (माह) ----- (वर्ष) को तैयार कर निष्पादित किया गया है जो प्रथम पक्षकार के रूप में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसकी एक इकाई ----- नगर प्रशासक के माध्यम से संचालित है (जिसे इसके पश्चात 'कंपनी' संबोधित किया गया है), उक्त संबोधन में जहाँ संदर्भ निहित हो इसके उत्तराधिकारी, स्वत्वधारी और हस्तांतरिती सम्मिलित हैं

तथा

श्री/श्रीमती ----- पति/पत्नी श्री ----- जो कि मैसर्स ----- निवासी ----- के नाम तथा रूप से व्यवसाय संचालित कर रहे हैं (जिसे इसके पश्चात दूसरे पक्षकार के रूप में 'अनुज्ञापी' संबोधित किया गया है)।

संदर्भ के अनुरूप, कंपनी और अनुज्ञापी को व्यक्तिगत रूप से 'पक्षकार' और 'संयुक्त' रूप से पक्षकारगण संबोधित किया गया है।

कथन

यह कि:

- (क) कंपनी ----- स्थित परिसर का स्वामी है जिसे विशेष रूप से अनुसूची ----- में विस्तार से वर्णित किया गया है (इसके पश्चात इसे 'परिसर' संबोधित किया गया है)।
- (ख) लागू नीतियों के अनुसार, कंपनी के प्रभावी विधान व नीतियों के अनुरूप संबंधित परिसर से पूर्णतः आज्ञा व अनुज्ञा आधार (लीव एंड लाइसेंस बेसिस) पर व्यापार के संचालन हेतु व्यक्तियों को सम्मिलित करने की कंपनी इच्छुक है।
- (ग) इसके अनुसरण में कंपनी ने अधिसूचना संख्या ----- दिनांक ----- के नियम एवं शर्तों के अनुसार आगे वर्णित अग्रिम नीलामी (फॉरवर्ड ऑक्शन) अपनाई है।
- (घ) संबंधित परिसर में आज्ञा व अनुज्ञा आधार (लीव एंड लाइसेंस बेसिस) पर अनुज्ञापी के रूप में आमेलन के इच्छुक होने के कारण अनुज्ञापी को दिनांक ----- को संपन्न उपर्युक्त वर्णित अग्रिम नीलामी (फॉरवर्ड ऑक्शन) में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई।
- (ङ) कंपनी की लागू नीतियों, अधिसूचना दिनांक ----- में वर्णित नियम एवं शर्तों तथा अनुज्ञापी द्वारा इस आशय की घोषणा कि वह अधिसूचना संख्या ----- दिनांक ----- के नियम व शर्तों की पूर्ति करता है तथा वह उसके अनुरूप सर्वथा योग्य हैं तथा इसमें प्रतिभागिता करने से किसी भी प्रकार से अयोग्य नहीं हैं, पर कंपनी की आवंटन समिति द्वारा अनुज्ञापी की निविदा/बिड स्वीकार्य की गई।

तदनुसार, इसमें निहित परस्पर प्रसंविदा (म्युचुअल कॉवनेंट्स) को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अनुज्ञापी को अनुज्ञा प्रदान करती है तथा अनुज्ञापी उक्त अनुज्ञा को परिसर में व्यवसाय (व्यवसाय जिसे कंपनी ने खंड 2.1 में प्रतिबंधित व्यवसाय अधिसूचित नहीं किया है) को दिनांक ----- से ----- माह की अवधि के लिए चलाने हेतु स्वीकार करता है, इसमें यह देखा जाना अनिवार्य होगा कि अनुज्ञापी ने खंड 3.1 के अनुसार उक्त अवधि के दौरान रूपए ----- का मासिक अनुज्ञा शुल्क बिना विलम्ब के जिम्मेदारी से भरा हो तथा खंड 1.3 के अनुसार प्रतिभूति जमा करने के साथ ही अनुबंध में निहित शर्तों का निष्ठापूर्वक पालन किया हो।

प्रत्येक स्थान के लिए मासिक लायसेंस शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है: -

Sl. No.	Location Code	Location	Monthly License Fee	Security Deposit	EMD	Difference SD

1.0	अवधि, प्रभावी दिनांक, इत्यादि।				
1.1	इस अनुबंध के तहत जारी अनुज्ञा, अनुबंध निष्पादन किए जाने की दिनांक से प्रभावी होगी।				
1.2	अनुज्ञा की वैधता, प्रभावी दिनांक से कुल ----- माह की अर्थात ----- तक मानी जाएगी।				
1.3	अनुज्ञा के नियम एवं शर्तों के अनुसार 12(बारह) महीने के अनुज्ञा शुल्क के बराबर की राशि ए.टी.एम./डेबिट कार्ड/बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करने के उपरांत अनुज्ञापी को परिसर का कब्जा करने की अनुमति होगी।				
1.4	अनुज्ञा की धरोहर राशि, यदि कोई हो, निविदा/बोली के साथ संलग्न की जाएगी जो भुगतान की गई प्रतिभूति जमा में समायोजित कर ली जाएगी।				
1.5	अनुज्ञा के निरस्तीकरण अथवा अनुबंध अवधि समाप्त होने पर अनुज्ञापी द्वारा परिसर को रिक्त करने और कंपनी को भौतिक रूप से कब्जा रहित परिसर सौंपने पर अनुज्ञापी से शेष वसूली की राशि की कटौती पश्चात सुरक्षा निधि (व्याज रहित) वापस की जाएगी।				
1.6	इस अनुज्ञा के किसी भी नियम अथवा शर्त के पालन नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त सुरक्षा निधि पूर्णतः अथवा उसका अंश भाग कंपनी के विवेकानुसार राजसात/जब्त कर लिया जाएगा।				
1.7	इस अनुबंध के तहत अनुज्ञापी द्वारा अपने उत्तरदायित्व में चूक नहीं करने और इस संबंध में नियम व शर्तों के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा पूर्व पारस्परिक अनुबंध होने पर अनुज्ञा का नवीनीकरण किया जा सकता है।				
2.0	व्यवसाय के प्रकार:				
2.1	कंपनी द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित तथा आवश्यक व्यवसायों की सूचियाँ अधिसूचित की जाएंगी। ऐसे व्यवसाय जिन्हें कंपनी द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, परिसर से संचालित नहीं किए जाएं।				
2.2	अनुज्ञापी एतद्वारा सहमत और वचनबद्ध है कि वह ऐसा कोई व्यवसाय परिसर से संचालित नहीं करेगा जिसे कंपनी द्वारा प्रतिबंधित व्यवसाय के रूप में अधिसूचित किया गया हो।				
2.3	आवश्यक व्यवसाय के लिए : अनुज्ञापी यह समझता है और इस बात से सहमत है कि आवश्यक व्यवसाय हेतु उसे आवंटित परिसर हेतु वह न तो व्यवसाय में परिवर्तन का अनुरोध ही करेगा और न ही कंपनी इस हेतु उसे अनुमति प्रदान करेगी।				
2.4	सामान्य व्यवसाय के लिए : अनुज्ञापी जिन्हें सामान्य व्यवसाय के लिए परिसर आवंटित किया गया हो वे आवश्यक व्यवसाय सहित किसी एक या एक से अधिक व्यवसायों को अपना सकते हैं जिसके लिए कंपनी की अनुमति आवश्यक नहीं है। इसके साथ ही, अनुज्ञापी द्वारा आवश्यक व्यवसाय अपनाने पर व्यवसाय में ऐसे परिवर्तन हेतु अनुज्ञा शुल्क के भुगतान में कोई परिवर्तन/छूट नहीं दी जाएगी।				
3.0	अनुज्ञा शुल्क, इत्यादि:				
3.1	अनुज्ञापी रुपये ----- (रु.----- मात्र) की राशि का मासिक अनुज्ञा शुल्क के रूप में भुगतान करेगा।				
	Sl. No.	Location	Monthly License Fee	SGST (9%)	CGST (9%)
3.2	प्रथम माह के अनुज्ञा शुल्क का भुगतान अनुबंध हस्ताक्षरित करने की दिनांक को किया जाएगा।				
3.3	इस अनुबंध की अवधि के प्रथम वर्ष यथा: दिनांक ----- से ----- के दौरान प्रत्येक अनुवर्ती माह के अनुज्ञा शुल्क का भुगतान अग्रिम रूप से प्रत्येक कैलेण्डर माह के प्रथम दिन को बिना किसी आपत्ति या शर्त के और इस संबंध में कंपनी द्वारा लिखित मांग के लिए दबाव डाले बिना करना होगा।				
3.4	इस अनुबंध की अवधि के दौरान, खंड 3.1 वर्णित अनुज्ञा शुल्क इस अनुबंध के प्रत्येक वर्ष की पूर्णता पर 5% (पाँच प्रतिशत) की दर से बढ़ाया जाएगा जिसे उत्त्तर दस रुपये की राशि पर पूर्णांकित (rounded off to the next higher ten Rupees) किया जाएगा।				
	Sl. No.	Location Code	Location	Monthly License Fee	
				1 st year	2 nd Year
				3 rd Year	4 th Year
				5 th Year	
3.5	अनुज्ञापी बड़ी हुई अनुज्ञा शुल्क का भुगतान उक्त वर्ष के दौरान खंड 3.3 में निर्धारित रीति अनुसार करेगा। अनुबंध की अवधि के दौरान इस प्रक्रिया का अनुसरण आगामी वर्षों में भी किया जाएगा।				
3.6	उपर्युक्त वर्णित विधि के अनुसार अनुज्ञा शुल्क का उचित एवं समय पर भुगतान इस अनुबंध का महत्वपूर्ण घटक माना जाएगा तथा अनुज्ञापी यह समझे कि नियत दिनांक तक देय भुगतान न होना इस अनुबंध के अंतर्गत उनकी जिम्मेदारियों में मूलभूत कमी मानी जाएगी।				

3.7	अनुज्ञा शुल्क की प्राप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर कंपनी अनुज्ञापी को अनुज्ञा शुल्क प्राप्ति की पावती रसीद अवश्य जारी करे।
4.0	कंपनी की आवश्यकता के लिए परिसर को रिवत किया जाना।
4.1	अनुज्ञापी द्वारा परिसर पर कब्जे की अवधि के दौरान किसी भी समय कंपनी को उस परिसर की आवश्यकता होने पर कंपनी अनुज्ञापी को उक्त परिसर से किसी अन्य लगभग समान लोकेशन के परिसर में जाने हेतु कह सकती है और तदनुसार कंपनी के लिए अनुज्ञापी स्वयं के व्यय पर निर्धारित समयावधि में पूर्व परिसर से नए परिसर में स्थानांतरित होगा। उपर्युक्त वैकल्पिक दुकान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कंपनी एक माह का नोटिस देकर अनुज्ञा समाप्त कर सकती है।
5.0	अनुज्ञा की प्रकृति तथा अनुज्ञाका हस्तांतरण/समनुदेशन (असाइमेंट) पर प्रतिबंध
5.1	यह कि उक्त परिसर के अनुज्ञापी को अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध में वर्णित प्रयोजन के लिए उक्त परिसर के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा प्रदत्त अनुमति द्वारा केवल अनुमत अधिकार होंगे। अनुबंध में वर्णित प्रावधान का कहीं भी आशय किराएदारी के सृजन अथवा अनुज्ञाप्त परिसर हेतु अनुज्ञापी के पक्ष में अनन्य अधिकार से नहीं हैं तथा उनका अधिकार मात्र अनुज्ञापी के रूप में ही है।
5.2	यह कि अनुज्ञापी इस अनुज्ञा को किसी भी रूप में किसी अन्य व्यक्ति को न तो समनुदेशन/हस्तांतरित करेगा और न ही उक्त परिसर अथवा उसके किसी भाग को उप अनुज्ञा करेगा तथा इससे जुड़ा किसी प्रकार का विशेषाधिकार किसी भी रीति में किसी अन्य को प्रदान कर सकेगा। अनुज्ञापी इस अनुज्ञा में प्रदत्त किए गए प्रयोजन हेतु ही परिसर का उपयोग करेगा। इस शर्त का उल्लंघन पाए जाने की दशा में (किसी अन्य कार्रवाई जिसके लिए वह अधिकृत हो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) अनुज्ञा को अविलंब समाप्त किया जाएगा
6.0	विधियों का अनुपालन
6.1	यह कि ऐसी अवधि जिस के दौरान अनुज्ञा प्राप्त परिसर अनुज्ञापी के कब्जे में रहता है अनुज्ञापी केन्द्र और राज्य द्वारा अपने व्यापार के लिए या अनुज्ञाप्त परिसर के प्रयोग के लिए लागू कानूनों और नियम व अधिनियमों के तहत बनाए गए सभी प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत है और उक्त प्रावधानों का अनुपालन स्वयं के स्वर्त पर वहन करने को तैयार है। विशेष रूप से आने होने वाली व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुज्ञापी बाल नियोजन अधिनियम 1938, दुकान एवं व्यावसायिक स्थापना अधिनियम, आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।
6.2	अनुज्ञापी इस बात के लिये भी सहमत है कि वह अनुज्ञाप्त परिसर के उपयोग अथवा उक्त परिसर से व्यवसाय के संचालन हेतु सभी अनुज्ञा संबंधी आज्ञाओं, परमिट अथवा वलीयर्स जो संबंधित प्राधिकारियों से लेना आवश्यक है, स्वयं के व्यय तथा स्वर्त पर प्राप्त करेगा।
6.3	अनुज्ञापी इस बात का पालन करने के लिये भी तैयार है कि जब तक अनुज्ञाप्त परिसर उसके कब्जे में है अथवा रहेगा तब तक वह अनुज्ञाप्त परिसर के उपयोग अथवा उक्त परिसर से व्यवसाय के संचालन हेतु किसी नियामक अथवा सांविधिक प्राधिकारी अथवा न्यायिक अथवा अर्द्धन्यायिक अथवा स्थानीय प्राधिकारी से अनुमतियां स्वयं के व्यय पर प्राप्त करेगा।
6.4	यह है कि अनुज्ञाप्त परिसर के आधिपत्य की अवधि के दौरान अनुज्ञाप्त परिसर के उपयोग अथवा व्यापार संचालन के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों को भुगतान/देय सभी कर (टैक्स), अधिभार (लेवी), उपकर (सेस), शुल्क अथवा प्रभार, समय-समय पर हुई वृद्धियों सहित का भुगतान अनुज्ञापी करेगा।
6.5	अनुज्ञापी यह जानते हैं और सहमत हैं कि जिस परिसर में उनका आधिपत्य है तथा इस अनुबंध के अंतर्गत है, उससे संबंधित सांविधिक अथवा स्थानीय अथवा नियामक प्राधिकारी एजेंसियों द्वारा इस अनुबंध के अधीन व्यवसाय किया जा रहा है समय-समय पर संबंधित शासकीय अथवा स्थानीय प्राधिकारी एजेंसियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकता है तथा उनके द्वारा निरीक्षण के दौरान की गई कोई टिप्पणी अथवा आदेश का अनुपालन अनुज्ञापी स्वयं के स्वर्त पर करेगा।
6.6	लागू प्रावधानों के संबंध में कोई उल्लंघन अथवा अवहेलना के संबंध में संबंधित प्राधिकारी द्वारा आरोपित किसी भी प्रकार के दंड (फाइन) अथवा शास्ति (पेनाल्टी) का भुगतान अनुज्ञापी द्वारा किया जाएगा।
6.7	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि वह अनुज्ञादाता/कंपनी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेगा तथा अनुज्ञाप्त परिसर के उपयोग के कारण हुई किसी प्रकार की हानि के लिए अनुज्ञादाता द्वारा किए गए व्यय की भरपाई करेगा तथा केन्द्र अथवा राज्य के विधान, नियमों, नियमनों तथा किसी दिशा-निर्देशों अथवा उक्त परिसर से व्यवसाय के संचालन हेतु किसी नियामक अथवा सांविधिक प्राधिकारी अथवा न्यायिक अथवा अर्द्धन्यायिक अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अथवा आदेशों का अनुपालन करेगा।
6.8	खण्ड 6.7 की शर्तों के अधीन अनुज्ञादाता द्वारा मांगी गई राशि का अनुज्ञापी द्वारा पूर्ण भुगतान बिना हील-हवाले के अविलंब किया जाएगा।
7.0	अनुज्ञापी के जोखिम एवं उत्तरदायित्व
7.1	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि वह अनुज्ञाप्त परिसर से संचालित अपने व्यापार के संबंध में सभी प्रकार के जोखिम एवं उत्तरदायित्वों तथा ऋण व बकाया राशि के भुगतान हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा अनुज्ञापी के किसी भी कृत्य, अथवा लापरवाही, किसी अधिनियम से उपजे किसी सांविधिक अथवा अन्य ऋण, बकाया, अधिभार अथवा जोखिम हेतु कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी।

8.0	अनुज्ञप्त परिसरों की परिसीमा
8.1	अनुज्ञापी यह जानते और समझते हैं कि इस अनुज्ञा अनुबंध के अंतर्गत प्रदत्त अनुज्ञा दीवारों और दरवाजों से परिसीमित क्षेत्र तक सीमित है। अनुज्ञप्त परिसर से लगा हुआ कोई खुला क्षेत्र अथवा सामने, पीछे या बाजू के बरामदे (यदि कोई) ब्राह्मकों, आंगंतुकों, आदि हेतु कॉमन पैसेज के रूप में उपयोग किया जाएगा तथा अनुज्ञप्त परिसर का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ऐसे खुले क्षेत्र या बरामदे का उपयोग अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञप्त परिसर के भाग के रूप में किसी भी कार्य (विक्रय हेतु वस्तुओं के प्रदर्शन, आदि जैसे अन्य कार्यों सहित) हेतु नहीं किया जाएगा। बरामदे को पूर्णतया कब्जा मुक्त रखा जाए। सामने, पीछे, बाजू के बरामदा (यदि कोई) अथवा खुले क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कब्जा अनधिकृत कब्जा माना जाएगा तथा इस संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही का जिम्मेदार अनुज्ञापी रहेगा।
8.2	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि वह कंपनी की लिखित अनुमति के बिना किसी रिवत भूमि पर न तो कब्जा करेगा और न ही अतिक्रमण करेगा तथा स्वयं का अनुज्ञप्त परिसर तक ही अपना उपयोग सीमित रखेगा। कंपनी की अनुमति के बिना इस खण्ड अथवा इससे पूर्व वर्णित खण्ड के अंतर्गत अतिक्रमण अनधिकृत कब्जा/अतिचार माना जाएगा, चाहे वह किसी भी समय किया गया हो।
9.0	विद्युत तथा जल प्रभार, जल-मल प्रभार, इत्यादि का भुगतान तथा भुगतान की चूक की दशा में कंपनी के अधिकार
9.1	यह कि अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि अनुज्ञप्त परिसर के आधिपत्य की अवधि के दौरान अनुज्ञप्त परिसर के संबंध में मांग की जाने पर वह सभी विद्युत तथा जल उपभोग प्रभार का पूरा भुगतान बिना हील-हवाले के करेगा। यदि कनेक्शन संबंधित सेवाप्रदाता से हों तो ऐसे प्रभार वास्तविक आधार (कंपनी द्वारा अनुज्ञापी को सूचित करने) पर देय होंगे। कनेक्शन संबंधित सेवाप्रदाता से नहीं होने की दशा में कंपनी द्वारा समय-समय पर निश्चित की गई दरों के अनुरूप कंपनी द्वारा निर्धारित प्रभार का भुगतान किया जाएगा। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आरोपित व्यावसायिक कर (यदि कोई) का भुगतान भी अनुज्ञापी द्वारा किया जाएगा।
9.2	अनुज्ञापी इस बात से भी सहमत है कि वह सभी आवश्यक जल-मल प्रभार वहन करेगा तथा कंपनी द्वारा अनुज्ञापी को भेजे गए बिलों को बिल प्राप्त होने की दिनांक के 7(सात) कैलेंडर दिनों के भीतर भुगतान करेगा, ऐसा नहीं होने पर 1.5% (डेढ़ प्रतिशत) प्रतिमाह की दर से ब्याज लगाया जाएगा जिसकी कटौती प्रतिभूति जमा से की जा सकेगी।
9.3	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि विद्युत/जल आपूर्ति के सभी बिलों का भुगतान बिल प्राप्त होने के दिनांक के 7(सात) कैलेंडर दिनों में करेगा। बिलों के भुगतान में चूक होने की दशा में सेवाओं की आपूर्ति कंपनी द्वारा बिना कोई सूचना के तथा अनुबंध को निरस्त करने के कंपनी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अवरुद्ध/विच्छिन्न कर दी जाएगी।
9.4	खण्ड 9.1 के अनुसार बकाया राशि तथा प्रत्येक सेवा हेतु कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित पुनर्संयोजन प्रभार (रीकनेक्शन चार्ज) के साथ ही खण्ड 9.5 अनुसार भुगतान में चूक की वसूली के भुगतान उपरांत कंपनी द्वारा तुरंत सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी।
9.5	भुगतान में अनुज्ञापी से चूक होने पर अर्थदंड की वसूली कम से कम 100 (एक सौ) रूपए प्रतिमाह या बकाया राशि पर प्रतिमाह 1.50% (डेढ़ प्रतिशत) ब्याज की दर (दोनों में से अधिक) से की जाएगी।
10.0	अनुज्ञप्त परिसर का रखरखाव
10.1	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि वह आधिपत्य की अवधि के दौरान अनुज्ञप्त परिसर को सभी समय किराए योग्य स्थिति में बनाए रखने हेतु स्वयं के व्यय एवं लागत पर आंतरिक एवं बाह्य रखरखाव करेगा। तदपि, इस मद पर ऐसे व्यय एवं लागत हेतु आरक्षित अनुज्ञा शुल्क में छूट का दावा करने अथवा अनुज्ञा की अवधि बढ़ाने हेतु पात्र नहीं होगा।
10.2	अनुज्ञापी अनुज्ञप्त परिसर को कंपनी की संतुष्टि के अनुरूप साफ-सुथरा बनाये रखने तथा स्वास्थ्यकारी स्थिति में बनाये रखेगा।
10.3	कंपनी के अनुरक्षण के प्रभासी अभियंता अथवा अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि अनुज्ञापी को आवंटित परिसर के किसी भी भाग में कार्यालयीन समय के दौरान किसी भी समय निरीक्षण के प्रयोजन के साथ ही आवश्यक मरम्मत तथा अन्य वार्षिक अनुरक्षण कार्यों हेतु पहुँच का अधिकार होगा।
10.4	यह कि अनुज्ञापी छोटी-मोटी मरम्मत अथवा अस्थायी आंतरिक कार्य को छोड़कर स्थायी प्रकार के विस्तार/परिवर्तन नहीं करेगा। किसी प्रकार के ढांचागत परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
10.5	यह है कि अनुज्ञापी उक्त परिसर में हुई किसी प्रकार की क्षति (सामान्य टूट-फूट को छोड़कर) को स्वयं के व्यय पर सही करवाएगा। इस संबंध में कंपनी अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अनुज्ञापी पर अंतिम एवं बाध्य होगा।
10.6	अनुज्ञप्त परिसर में बड़ी ढांचागत मरम्मत, यदि आवश्यक हो, कंपनी द्वारा करवाई जाएगी। कंपनी द्वारा इस प्रयोजन हेतु मरम्मत के लिए निर्धारित समयावधि के लिए अनुज्ञापी से परिसर खाली कराकर उसका आधिपत्य लिया जा सकता है।
10.7	कंपनी को उक्त परिसर के ऐसे आधिपत्य देने पर किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष हानि के लिए क्षतिपूर्ति का कोई दावा अनुज्ञापी नहीं कर सकेगा। तदपि, अनुज्ञा अनुबंध की मूल अवधि को उस समयावधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा जिस अवधि के लिए अनुज्ञापी के पास परिसर का आधिपत्य नहीं था तथा ऐसी मरम्मत के कारण वह परिसर का उपयोग नहीं कर सका।

10.8	मरम्मत किए जाने के 6 (छः) माह की अवधि के भीतर अनुज्ञापी को अनुज्ञप्त परिसर का आधिपत्य नहीं दिए जा सकने की दशा में अनुज्ञापी एक माह का नोटिस देकर अनुज्ञा अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
11.0	परिसर से आपत्तिजनक/अवांछित व्यक्तियों को हटाना
11.1	व्यापार के संचालन हेतु परिसर में अनुज्ञापी की उपस्थिति सामान्यतः बनी रहनी चाहिए।
11.2	अनुज्ञापी इस बात से सहमत है कि वह अनुज्ञप्त परिसर में अथवा उससे संबद्ध परिसर में किसी कर्मचारी अथवा सहायक को जिसकी उवत परिसर में निरंतर उपस्थिति कंपनी द्वारा चिकित्सा, सुरक्षा अथवा किसी अन्य कारण से वांछित नहीं हो, को उवत परिसर से हटाएंगे, इस हेतु कंपनी द्वारा कारण बताना आवश्यक/ बंधनकारी नहीं होगा। इस संबंध में कंपनी के नगर प्रशासन विभाग के प्रभारी का आदेश अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
12.0	अनुज्ञापी द्वारा पाइप लाइन, इत्यादि से छेड़छाड़ नहीं करना
12.1	अनुज्ञापी उन्हें आवंटित परिसर के ऊपर अथवा नीचे से जाने वाली पाइप लाइनों, गैस पाइप लाइनों, जल पाइप लाइनों, सीवेज पाइप लाइनों, टेलीग्राफ लाइनों, दूरभाष, अन्य केबल लाइनों तथा विद्युत लाइनों के साथ न तो किसी प्रकार की छेड़छाड़ करेगा न ही उन्हें क्षतिग्रस्त करेगा।
13.0	अनुज्ञा भंग होने पर समाधान तथा अनुज्ञा का निरस्तीकरण
13.1	वैसी परिस्थितियां जिनकी प्रकृति गंभीर न हो तथा जिनके कारण अनुज्ञा अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की आवश्यकता न हो (जैसे सामग्री/माल रखकर बरामदे को अवरुद्ध करना, दुकान को बढ़ाकर बरामदे तक ले आना, आदि) के कारण अनुज्ञा भंग होने पर अर्थदंड लगाने का उल्लेख इस खंड में किया गया है।
13.2	<p>इस अनुबंध में अब तक विशिष्ट रूप से वर्णित प्रावधानों को छोड़कर अनुज्ञापी अथवा उनके कर्मचारी/एजेंट द्वारा इस अनुबंध के नियम व शर्तों को भंग करने अथवा उल्लंघन करने की दशा में, कंपनी इस अनुबंध के अधीन प्रदत्त समाप्ति/प्रतिसंहरण के अपने अधिकारों के बावजूद, अनुज्ञापी के विरुद्ध निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अधिक कार्रवाई कर सकती है :-</p> <p>क) इस अनुबंध के किसी प्रावधान के उल्लंघन अथवा उसके अनुपालन न किए जाने पर उल्लंघन की अवधि के दौरान रुपये 500/- (पाँच सौ) प्रतिदिन अर्थदण्ड राशि लगाई जा सकती है। इस अनुबंध के प्रावधानों का अनुज्ञापी द्वारा आदतन उल्लंघन पाए जाने की दशा में उल्लंघन की अवधि के दौरान रुपये 1000/- (एक हजार) प्रतिदिन की अर्थदण्ड राशि लगाई जा सकती है। इस संबंध में कंपनी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा कंपनी द्वारा निर्धारित राशि मांग जारी होने के 7 (सात) कार्य-दिवसों के भीतर पूर्ण रूप से भुगतान किया जाना है अन्यथा उसकी कटौती प्रतिभूति जमा से की जाएगी।</p> <p>ख) कंपनी अथवा अनुज्ञप्त परिसर में किसी प्रकार की क्षति की भरपाई हेतु प्रतिभूति जमा को पूर्णता अथवा आंशिक रूप में जब्त किया जा सकता है।</p> <p>ग) प्रत्येक ऐसे उल्लंघन अथवा अनुपालन न किए जाने के मामले में अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञप्त परिसर के उपयोग को अधिकतम 90 (नब्बे) दिवस हेतु निरुद्ध (सस्पेंड) किया जा सकता है।</p>
13.3	इस अनुबंध में अन्यथा वर्णित बातों के बावजूद, यह अनुबंध उभयपक्ष द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण दर्शाए एक माह की लिखित सूचना पर समाप्त किया जा सकेगा।
13.4	दुकान का आवंटन "जहाँ है-जैसी है" स्थिति के आधार पर किया जाएगा। किसी भी कारण परिसर को खाली कराने/ अनुज्ञा की समाप्ति/ निरस्तीकरण के समय, अनुज्ञा अवधि के दौरान व्यापार/ व्यवसाय संचालित करने हेतु अनुज्ञापी द्वारा परिसर में कराए गए निर्माण, अस्थायी निर्माणों, साज-सज्जा, आदि को तोड़ने/ साफ करने हेतु किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति आवंटनी को नहीं की जाएगी।
13.5	खंड 13.2 के अनुसार अनुज्ञा की समाप्ति पर समाप्ति/ खाली करने की सूचना अवधि के दौरान अनुज्ञापी उवत परिसर से अपनी सभी सामग्री हटा लेगा तथा कंपनी को रिवत परिसर सौंपने के साथ ही परिसर में हुई टूट-फूट की मरम्मत करेगा।
13.6	अनुज्ञापी द्वारा यदि किसी प्रकार का कोई निर्माण/ ढांचा बनाया गया हो तो उसे स्वयं की लागत पर हटाएगा तथा परिसर को जिस दशा में उसे सौंपा गया था उसी दशा में जमा करेगा। यदि कंपनी ऐसा चाहती है कि कोई ढांचा नहीं हटाया जाए तथा परिसर में बनाए रखा जाए तब कंपनी द्वारा उवत निर्माण/ ढांचे का मूल्यांकन किया जाएगा, जो अंतिम होगा तथा जिसका भुगतान एक उपयुक्त अवधि में अनुज्ञापी को किया जाएगा।
13.7	किसी भी कारण अनुज्ञा समाप्ति की दशा में अनुज्ञापी कंपनी से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा निवेश की वसूली अथवा अन्य वैकल्पिक परिसर के दावे का पात्र नहीं होगा।
13.8	अनुज्ञापी के दिवालिया होने अथवा मृत्यु अथवा चारित्रिक दुराचरण (मोरल टरपिट्यूड) के अभियोग में न्यायालय द्वारा दंडित करने की दशा में अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जाएगी।
13.9	अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर परिसर को रिवत करना इस अनुबंध का सार है जिसके न होने पर कंपनी अनाधिकृत आधिपत्य हेतु अनुज्ञा शुल्क के 200% (दो सौ प्रतिशत) की दर से (किसी भी दशा में रुपये 1000/- (एक हजार) प्रतिदिन से कम न हो) दंड प्रभार का दावा करने की पात्र होगी। यह राशि अनुज्ञा शुल्क के अतिरिक्त देय होगी।
14.0	सूचनाएं
14.1	अनुज्ञापी को कंपनी द्वारा जारी की जाने वाली कोई भी सूचना उचित रूप से प्रदान की गई मानी जाएगी यदि वह कंपनी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा जिसे अनुज्ञापी के व्यापार के अंतिम ज्ञात पते अथवा उपर्युक्त परिसर

	में अनुज्ञापी को संबोधित पंजीकृत डाक द्वारा प्रदत्त की गई हो। अनुज्ञापी द्वारा कंपनी को सूचना तब उचित रूप से प्रदान की गई मानी जाएगी जब वह पूर्ण पते तथा वांछित स्टाम्प सहित इकाई के नगर प्रशासक के कार्यालय में पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई हो अथवा हस्त डाक द्वारा प्रदत्त की गई हो।												
15.0	मुद्रांकन तथा निष्पादन संबंधी लागत												
15.1	यह कि इस अनुबंध के मुद्रांकन तथा निष्पादन की लागत का वहन अनुज्ञापी द्वारा किया जाएगा।												
16.0	मध्यस्थता/आर्बीट्रेशन												
16.1	इस अनुबंध से उपजे अथवा इससे संबंधित उभयपक्षों के बीच किसी भी विवाद अथवा मतभिन्नता, जब तक कि वह लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जों की बेदखली) अधिनियम 1971 अथवा कोई अन्य सांविधिक अधिनियमन अथवा समय-समय पर उसमें संशोधन से बाहर न हो, एक एकल मध्यस्थ की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। एकल मध्यस्थ का मनोनयन कंपनी के इकाई प्रमुख द्वारा किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाएगी तथा यह आर्बीट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 और उसमें समय-समय पर किए गए सांविधिक संशोधनों के प्रावधानों के अनुरूप होगी।												
17.0	शासित विधि												
17.1	उपयुक्त खंड 16 के प्रावधानों के अनुरूप उभयपक्षों का विवाद भोपाल (म. प्र.) में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।												
	<div>संपत्ति की अनुसूची</div> <div>भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल के ----- क्षेत्र में स्थित भूखंड/ दुकान नं. -----, जिसका क्षेत्रफल -----(वर्गफीट)/आवासीय क्षेत्रफल -----(वर्गफीट) है जो -----तल पर है तथा इसकी चतुर्सीमा निम्नानुसार है :-</div> <table><tr><th>Sl. No.</th><th>Location</th><th>Area sq. ft.</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Sl. No.	Location	Area sq. ft.									
Sl. No.	Location	Area sq. ft.											
	<div>उपयुक्त दिनांक तथा वर्ष को उभयपक्ष द्वारा गवाहों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।</div> <div><div><div>1 गवाह</div><div>(1)</div><div>(2)</div></div><div><div>1 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की ओर से</div></div></div> <div><div><div>2 गवाह</div><div>(1)</div><div>(2)</div></div><div><div>2 अनुज्ञापी का स्थाई पता</div><div>नाम :</div><div>निवास का पता :</div><div>दूरभाष नं.</div></div></div>												

SAMPLE - LICENSE AGREEMENT

An agreement made and executed on this the day of (month) 20.... (year) between BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, registered under the Companies Act, 1956 and having inter-alia a Unit Bhopal acting through Township Administrator or his duly authorized executive in this behalf (hereinafter called the COMPANY) which expression shall wherever the context admits, include its successors, assigns and transferees in the interest of the first part.

AND

Shri.....S/o Shri.....carrying on business under the name and style of M/s(hereinafter called the "LICENSEE" of the second part.

The Company and the Licensee are individually referred to as the 'Party' and jointly as the 'Parties' as the context requires.

Recitals**Whereas**

- A) The COMPANY is the owner of the premises situated at BHEL Township Bhopal which is more particularly described in Schedule (I) hereto (hereinafter referred to as 'Premises')
- B) As per the applicable policies, the Company intends to induct purely on leave and license basis a person to carry out trade from the said Premises in consonance with applicable legislations and policies of the Company;
- C) In pursuance thereof, the Company had carried out Forward Auction subject to terms and conditions of the Notification bearing number dated
- D) The Licensee was permitted to participate in the aforementioned Forward Auction held on being desirous of being inducted in the said premises as a Licensee purely on leave and license basis;
- E) The bid of the Licensee has been found to be acceptable by the Allotment Committee of the Company as per the applicable policies of the Company and the terms and conditions of the notification dated based on his/its representation that he/it fulfils all the terms and- conditions set out in the Notification bearing number dated and is fully eligible as per the same and is not disqualified in any manner from so participating;

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual covenants herēin Contained, the Company hereby grants license to the Licensee and the Licensee accepts the said license to carry out business, not being a business notified by the Company as per clause 2.1 to be a 'banned' business, from the said remises for a term of months commencing from subject to the licensee promptly and faithfully paying a monthly license fee of during the said term in accordance with clause 3.1 hereof and depositing the security deposit in terms of clause 1.3 hereof and faithfull adherin to all other conditions as set out herein below:

Details of MLF for each location is given as following:-

Sl. No.	Location Code	Location	Monthly License Fee	Security Deposit	EMD	Defrence SD

1.0	<u>Term, Effective Date etc.</u>
1.1	The License granted under this Agreement shall become effective from the date of execution of this Agreement.
1.2	The tenure of the license commencing from the Effective Date, shall be for a maximum period of ... month i.e. till
1.3	The Licensee shall be allowed occupation of the premises only after submitting the security deposit for due observance of the terms and conditions of the license for an amount equivalent to 12 (twelve) months licensee fee in the form of demand draft/banker's cheque. In this respect M/s has deposited (Rs.) vide Demand Draft No. dated
1.4	The Earnest Money Deposit of the Licensee, if any, submitted along with the bid shall be adjusted towards the security deposit to be paid.

1.5	The Security Deposit will be refunded without interest only after the Licensee vacates the premises and hands over physical and unencumbered possession of the Premises to the Company on termination or expiry of the License after deducting there from any sum that may be found due from the Licensee.				
1.6	In the event of non-observance of any of the terms and conditions of this license the said Security Deposit shall be forfeited in whole or in part at the discretion of the COMPANY.				
1.7	Subject to the Licensee not being in default of any of its obligations under this Agreement and prior mutual agreement being reached between the Parties in this behalf as to the terms and conditions, the license may be renewed further.				
2.0	<u>Types of Business</u>				
2.1	From time to time, the Company shall notify lists of banned business(es) and essential business(es). Businesses notified as banned businesses shall not be carried on from the Premises.				
2.2	The Licensee hereby agrees and undertakes that it shall not conduct or carry out any business from the Premises which is notified as a Banned Business by the Company.				
2.3	For Essential Businesses - The Licensee understands and agrees that no change of trade will be sought by him/it or will be permitted by the Company w.r.t. kind of essential business for which the premises was allotted to him.				
2.4	For General Business - The Licensee to whom the premises have been allotted for General Business may change over to one or more business(es) including essential business without need for further permission from the Company. Further, in case the Licensee switching over to an Essential Business no change/relaxation in license fee payable will be allowed for such change of business.				
3.0	<u>License Fee etc</u>				
3.1	That the LICENSEE shall pay sum of Rs..... (Rs.) towards the monthly licensee fee.				
	Sl. No.	Location	Monthly License Fee	SGST (9%)	CGST (9%)
3.2	The License Fee for the first month shall be paid as on the day of signing of this Agreement.				
3.3	For each subsequent month during the first year of the tenure of this Agreement i.e. from to the License fee shall be paid on the first day of each calendar month in advance without any demur or reservations and without insisting for a written demand being raised by the Company in this regard.				
3.4	During the currency of this Agreement, the License Fee as mentioned in clause 3.1 shall stand enhanced on each yearly anniversary of this Agreement @5% which shall be rounded off to the next higher ten Rupees.				
	Sl. No.	Location Code	Location	Monthly License Fee	
				1 st year	2 nd Year
				3 rd Year	4 th Year
				5 th Year	
3.5	The Licensee shall pay the enhanced License Fee during the said year in the same manner as stipulated in clause 3.3. Same procedure shall be followed in subsequent years also during the currency of this Agreement.				
3.6	The due and prompt payment of the License Fee in the manner stipulated hereinabove shall be of essence of this Agreement and the Licensee understands that any failure to make the due payment by the stipulated time shall amount to a fundamental breach of its/his obligations under this Agreement.				
3.7	The Company shall issue to the Licensee the receipt acknowledging the realisation of the License Fee within a period of 7 days from the date of realisation thereof.				
4.0	<u>Vacation of Premises for Company's use</u>				
4.1	If at any time during the period when the Licensee is in occupation of the Premises, the Company needs the said premises, the Company can call upon the licensee from one Premise another similar Premise in any available location, similar to the extent possible to the present location and the Licensee shall thereupon vacate and shift to such premise within the period stipulated in this behalf by the Company at his own expense. If no such alternative shop is available the Company shall terminate the license by giving one month notice.				
5.0	<u>Nature of License and Prohibition on transfer/assignment of License</u>				

5.1	That the LICENSEE shall, during the currency of the term of this Agreement, have only a permissive right to use the said premises for the purpose provided in this Agreement, arising by the permission granted by the Company. Nothing herein contained shall be construed to create a tenancy or exclusive right in favour of LICENSEE to the Licensed premises and his rights are only those of a bare licensee.
5.2	That the LICENSEE shall not in any manner assign or transfer this license to any person nor shall the Licensee sublicense the said premises or part with any privilege granted herein to any other person what-so-ever or in any manner. The Licensee shall use the premises solely for the purpose defined herein for which he has been granted this License. In the event of violation of this condition the Licenser may, without prejudice to any other action which he may be entitled to take, terminate this License forthwith
6.0	<u>Compliance of Laws, etc.</u>
6.1	During the period when the LICENSEE remains in occupation of the Licensed premises, the LICENSEE agrees to abide by the provisions of all applicable central or state laws and rules or regulations framed thereunder applicable to his trade or his use of the licensed premises and shall bear all costs towards compliance of the said provisions on his own account. Without prejudice to the generality of the foregoing, in particular, the LICENSEE shall comply with the provisions of the Employment of Children Act, 1938, Shops and Commercial Establishment Act of the State etc.
6.2	The LICENSEE also agrees to obtain at his own cost and expense all licenses, permissions, permits or clearances from the concerned authorities as necessary for use of the licensed premises by the Licensee or for carrying out the trade from the said premises.
6.3	The LICENSEE also agrees to comply with at his own cost any regulation, direction or order of any regulatory or statutory authority or judicial or quasi-judicial body or local authority with regard to the use of the licensed premises by the Licensee or the trade carried out there from during the period he is or remains in occupation of the licensed premises.
6.4	That the LICENSEE shall pay all taxes, levies, cesses, fees or charges of whatsoever description, with all enhancements in relation to the said occupation or use of the licensed premises and / or the trade carried on in and from the said premises as is to be paid or assessed by the authorities concerned during the period when the licensee remains in occupation of the licensed premises.
6.5	The Licensee understands and agrees that the premises under occupation by and under this Agreement may be inspected by from time to time by officials of the concerned statutory or local or regulatory authorities Agencies and that any observation, order passed consequent upon such inspection shall be complied with by the Licensee at his own cost and expense.
6.6	The fine or other penalty of whatsoever description, imposed by the concerned authority in respect of any violation or the non-compliance of any applicable provision shall be paid by the Licensee.
6.7	The LICENSEE agrees to keep the Licenser/Company harmless and hold it indemnified on account of any loss or damages sustained or expenses or costs incurred by the Licenser in order to defend any proceeding brought against it or on account of use of the licensed premises by the Licensee or to ensure compliance of the central and the state laws, rules, regulations made thereunder or regulations, directions or orders of any regulatory or statutory authority or judicial or quasi-judicial body or local authority as applicable to the trade of the licensee or to the use of the licensed premises by the Licensee.
6.8	The Licensee shall, without demur or reservations, forthwith pay in full, the sum of money as demanded by the Licenser in terms of clause 6.7.
7.0	<u>Risks and Liabilities of Licensee</u>
7.1	That the Licensee agrees that he shall solely bear all risks and liabilities whatsoever, and meet all debts or arrears in respect of the trade carried on by the Licensee in or from the licensed premises and the COMPANY shall not be liable for any such risks nor for any debts, arrears, or other levies statutory or otherwise, arising out of any of the acts, omissions or deeds of the LICENSEE.
8.0	<u>Extent of Licensed Premises</u>
8.1	The Licensee understands and agrees that the license granted by this License Agreement, is only as respects the area enclosed by the walls and the door of the licensed premises. Any open area or the front, back or side verandah (if any) abutting the licensed premises are meant only for the use as common passage by the customers, visitors etc and is not a part of the Licensed premises itself. Such open area or verandah must on NO account be used for any purpose, by the licensee as a part of the licensed premises including but not limited to for exhibiting articles for sale. The verandah(s) must be left absolutely unoccupied. Any occupation of the any open area or the front,

	back or side verandah (if any), shall constitute unauthorized occupation and the LICENSEE shall be liable for any consequential action.
8.2	The LICENSEE agrees that it shall not encroach or occupy on any vacant land without prior permission of the Company in writing and shall restrict his use to the premises licensed to him. Any encroachment under this clause or the preceding clause without the prior permission from the Company would be construed as unauthorized occupation / trespass in breach of this agreement, irrespective of the time.
9.0	<u>Payment of Electricity and Water Charges, Conservancy Charges etc. and Powers of Company in the event of Default of payment</u>
9.1	That the LICENSEE agrees that during the period when it remains in occupation of the licensed premises, it shall pay in full, without demur or any reservations, all, electricity and water consumption charges, as demanded from it in respect of the licensed premises. Such charges, shall be payable on actuals (as intimated to the licensee by the Company) if the connection is from the concerned utility. In case the connection is not from the concerned utility, then the charges shall be payable as determined by the Company in accordance with the rates fixed by the COMPANY in this behalf from time to time. The LICENSEE shall also pay Professional Tax if any imposed by the concerned authorities.
9.2	The LICENSEE further agrees to bear all necessary conservancy charges and bills for such charges preferred by the COMPANY shall be payable by the LICENSEE within seven days from the date of presentation of the bill failing which 1.5% interest per month will be levied and recoverable from the Security Deposit.
9.3	The Licensee agrees that all bills for electricity/water supply shall be payable within 7 calendar days from the date of presentation of the bill(s). In the event of default in making the payment of the bill(s), the supply of the service may be disconnected or discontinued by the Company, without any further notice and without prejudice to the Company's right to terminate the agreement.
9.4	However the COMPANY shall restore the service(s) immediately after the dues as per clause 9.1 and reconnection charges as fixed by the COMPANY from time to time for each service including recovery on default of payment from the licensee as per clause 9.5, have been fully paid.
9.5	The recovery of penalty on default payment from the licensee will be minimum of Rs. 100/- p.m. or 1.5% interest per month on outstanding dues, whichever is higher.
10.0	<u>Maintenance of Licensed Premises</u>
10.1	The Licensee agrees to maintain the interior and the exterior of the licensed premises in good tenantable repair at all times during his occupation of the same at his own cost and expenses. However, on account of such expenses and costs, the Licensee shall not be entitled to claim any rebate in the Licensee Fee reserved hereby or for extension of the tenure of the License.
10.2	The Licensee shall always keep the Licensed Premises maintained in neat, clean and hygienic condition to the satisfaction of the COMPANY.
10.3	The Engineer-in-charge of maintenance, or any other authorized representative of the COMPANY shall at all times during the working hours, have free access to every part of the premises allotted to the LICENSEE for the purpose of inspection and also to carry out the necessary repairs and other annual maintenance works.
10.4	That the LICENSEE shall not carry out any additions/alteration of permanent nature, except minor repairs and interiors of temporary nature. No structural change will be permitted.
10.5	That the LICENSEE shall make good any damage caused to the said premises at his own expenses (normal wear and tear being excepted). The decision of the COMPANY or any officer authorized on its behalf shall be final and binding on the LICENSEE.
10.6	The major structural repairs of the Licensed Premises, if necessary, shall be carried out by the Company. For the purpose of carrying out such repairs, the Company may call upon the Licensee to handover, vacant and physical occupation of the Premises to the Company for the period requisite for carrying out the repairs as adjudged by the Company.
10.7	The Licensee shall not be entitled to claim any compensation for direct or indirect losses arising out of such handing over of occupation of the premises to the Company. However, the original term of the License Agreement shall be correspondingly increased by the duration for which the Licensee remains out of occupation and use of the premises owing to such repairs being carried out.
10.8	In the event, the occupation of the Licensed Premises cannot be restored to the Licensee within a period of six months after carrying out the repairs, the Licensee may terminate the License Agreement by serving one month notice.

11.0	<u>Removal of Objectionable/Undesirable Persons from the Premises</u>
11.1	The LICENSEE should normally be available in the premises to run the business.
11.2	The LICENSEE agrees to forthwith remove any of his employee or associates from the licensed premises, whose continued presence at the aforesaid premises is considered by the COMPANY as undesirable for medical, security or any other reasons which the COMPANY will not be obliged or forced to disclose. The order of the TAD In-charge of the Company in this behalf shall be final and binding.
12.0	<u>Non-interference by the Licensee with Pipelines etc.</u>
12.1	The LICENSEE shall not interfere or damage with the pipelines, gas pipe lines, water pipe lines, Sewerage lines, Telegraph lines, Telephone, other Cable lines and the Electric lines passing over or under ground of the premises so allotted to him.
13.0	<u>Remedies for Breach And Termination of License</u>
13.1	Suggested breach(es) for imposing penalty under this clause are those which are minor in nature and do not call for immediate termination of license agreement : e.g. obstructing pathway by keeping materials/ goods, extending shop in verandah etc.
13.2	<p>Except in so far as is specifically provided for in this Agreement, in case of breach or non-observance of the terms and conditions of this agreement by the LICENSEE or employees / agent, the COMPANY may, without prejudice to its right to terminate/revoke the License granted under this Agreement on that account, take one or more of the following actions against the LICENSEE:</p> <p>a). Impose penalty for a sum of Rs 500/- per day during which the violation or non-compliance of any provision of this Agreement continues. In the event, the Licensee is found to be habitually violating the provisions of the Agreement, then the penalty shall be calculated at a rate of Rs 1000/- per day during which the violation or non-compliance continues. The decision of the Company in this behalf shall be final and the amount as adjudged by the Company would, unless paid in full within 7 calendar days from the date of raising of the demand, be deducted, from the Security Deposit of the Licensee.</p> <p>b). Forfeit the security deposit in whole or in part to make good any loss caused to the Company or to the Licensed Premises.</p> <p>c). Suspend the use of the licensed premises by the Licensee for a period not more than 90 (Ninety) days in respect of each such violation or non-compliance.</p>
13.3	Notwithstanding anything to the contrary contained in this agreement, this Agreement may be terminated at any time by either party by giving one month notice in writing to the other Party without assigning any reason.
13.4	The shop will be allotted on "As-Is-Where-Is" basis. The Licensee will not be paid any compensation, damages towards dismantling, removal of any infrastructure, temporary structures, interiors etc., which he/she may have done for running trade/ business during the license period, at the time of expiry/ termination of license /vacation of premises on account of any reason whatsoever.
13.5	On termination of the License as per clause 13.2, the Licensee binds himself to remove all his properties from the said premises and shall handover the vacant premises to the Company, repair all damages within the period of the notice for termination/ vacation.
13.6	The construction/ structure if any, erected by the LICENSEE shall be removed at his own cost and the premises would be restored as it was handed over. If the COMPANY wants that such structures should not be removed, but be retained in the premises, then the value of such construction / structure shall be determined by the Company which shall be final and paid to the licensee within a reasonable period.
13.7	In case of termination of the License in any manner, the LICENSEE shall not be entitled to claim any compensation from the Company or seek recovery of investments or an alternate premises.
13.8	In the event of insolvency or death or conviction in a court of law for an offence involving moral turpitude of the LICENSEE, the license shall be cancelled forthwith.
13.9	That the vacation of the premises on expiry of the license period is essence of the Contract failing which the Company will be entitled to claim penal charges for unauthorized occupation @ 200% of the License fee but in no case less than Rs. 1000/- per day. This shall be in addition to the license fee payable herein
14.0	<u>Notices</u>

14.1	Any notice required to be served by the COMPANY upon the LICENSEE shall be deemed to be sufficiently served if signed by the officer authorized by the COMPANY and delivered, sent by Registered Post address to the LICENSEE at his last known place of business or at the said premises. Any notice to be served by the LICENSEE upon the COMPANY shall be deemed to be sufficiently given by him and delivered, if the same is properly addressed, and stamped and sent by Registered Post or hand delivered in the office of township administration of the Unit.													
15.0	<u>Costs of Stamping and Execution</u>													
15.1	That the LICENSEE shall bear the cost of stamping and execution of this agreement.													
16.0	<u>Arbitration</u>													
16.1	Any dispute or difference between the Parties arising out of or connected with the present agreement, except in so far as the same is covered by the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 or any other statutory enactments or modifications as may be in force from time to time, shall be referred to arbitration by a Sole Arbitrator. The Sole Arbitrator shall be appointed by the Head of the Unit of the Company. The proceedings of such arbitration shall be conducted in English language and shall be governed by the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 or any statutory modification thereof as applicable from time to time. The seat of such arbitration shall be at Bhopal. The Parties shall not object to appointment of any person as the sole arbitrator merely on the ground that he is an employee of the Company. Subject to clause 17 herein below, the decision of the Sole Arbitrator shall be final and binding on both the Parties.													
17.0	<u>Governing Law:</u>													
17.1	Subject to the provisions of clause 16 hereinabove, any dispute between the Parties shall be subject to jurisdiction of Courts at Bhopal.													
	<p>The Shop No. as per schedule of property (I) situated in Township, Bharat Heavy Electricals Limited, Bhopal and bounded on:</p> <p>Area of shop as per schedule of property (I) (in square feet)</p> <p>Floor number _nil_</p> <p><u>THE SCHEDULE OF PROPERTY (I)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl. No.</th> <th>Location</th> <th>Area sq. ft.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Sl. No.	Location	Area sq. ft.									
Sl. No.	Location	Area sq. ft.												
	<p>In WITNESS WHEREOF the parties have set their hands the day and year first above written</p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>1 WITNESS</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>1 For and on behalf of</p> <p style="padding-left: 20px;">Bharat Heavy Electricals Limited Bhopal</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>2 WITNESS</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>2</p> <p>PERMANENT ADDRESS OF LICENSEE</p> <p>Name:</p> <p>Address:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Ph. No.</p> </td> </tr> </table>		<p>1 WITNESS</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p>	<p>1 For and on behalf of</p> <p style="padding-left: 20px;">Bharat Heavy Electricals Limited Bhopal</p>	<p>2 WITNESS</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p>	<p>2</p> <p>PERMANENT ADDRESS OF LICENSEE</p> <p>Name:</p> <p>Address:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Ph. No.</p>								
<p>1 WITNESS</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p>	<p>1 For and on behalf of</p> <p style="padding-left: 20px;">Bharat Heavy Electricals Limited Bhopal</p>													
<p>2 WITNESS</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p>	<p>2</p> <p>PERMANENT ADDRESS OF LICENSEE</p> <p>Name:</p> <p>Address:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Ph. No.</p>													